संख्या- 23/2021/34Gi/86-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

हृदय नारायण सिंह यादव,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 12 अक्टूबर, 2020

विषयः- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि के उपयोग में छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया कोविड-19 से होने वाले संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि का उपयोग/व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्त/प्रतिबंध सहित प्रदत्त छूट एवं तत्संबंधी दिशा-निर्देशों विषयक खान मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20.03.2020, सपठित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.06.2020 एवं अपर सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-7/2/2020-MIV दिनांक 25.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 11.06.2020 तथा 25.08.2021 जिला खनिज न्यास निधि से कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु धनराशि के उपयोग/व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिनांक 28.03.2020 में संशोधन विषयक हैं। उक्त पत्र दिनांक 28.03.2020 व दिनांक 11.06.2020 क्रमशः शासन के पत्र संख्या-04/जी0आई0/ 86-2020 दिनांक 30.03.2020 एवं पत्र संख्या-1071/86-2021-14(सा0)/2020, दिनांक 01.07.2020 द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 28.03.2020, पत्र दिनांक 11.06.2020 व संलग्न पत्र दिनांक 25.08.2021 के दिशा-निर्देशानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव

संख्या-34Gi(1)/86-2021, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
7- समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3461/86-21

No. 6266 /MS/GI/2021

संजय लोहिया, आईएएस
अपर सचिव
SANJAY LOHIYA, IAS
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
Tel. : +91-11-23387158, 23383104
Email : sanjay.lohiya@gov.in

D.O. No. 7/2/2020-MIV

Dated: the 25th August, 2021

Sub: Relaxation in utilization of fund under District Mineral Foundation (DMF) for activities taken up to combat COVID-19 under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP).

Dear Madam/Sir,

Please refer to Ministry of Mines D.O. dt. 28.03.2020 and 11.06.2020 to all State Governments for utilizing up to 30% of the funds available under DMF as on 28.03.2020 for supplementing and augmenting facilities of medical testing, screening and other requirements in connection with the prevention of the spread of COVID-19 pandemic as well as for treating the patients affected with COVID-19 pandemic. In continuation of the above directives, it is decided to clarify that medical infrastructure includes oxygen plants and cylinders. Further, it also decided to allow purchase of approved medicines and consumables for treatment of COVID-19 through DMF under the above scheme. Accordingly, Para 5 (a) and (b) of the D.O. letter 7/2/2020-MIV dt. 28.03.2020 is amended as below:

1. Para 5 (a) & (b) of D.O. letter no 7/2/2020-MIV dt. 28.03.2020 is further amended as under:

a. It is to be ensured that the expenditure related to COVID-19 does not exceed thirty (30) percent of the balance funds available with DMF as on 31.03.2021.

b. Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipment/s or creation of medical infrastructure including Oxygen plant, Oxygen cylinders and oxygen concentrators as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in all districts having DMF. Fund can also be used for purchase of approved medicines and consumables for treatment of COVID-19 in Government Hospitals in mining affected areas, if other available funds are not sufficient as certified by the District Magistrate.

3. All other conditions of the DO dated 28.03.2020 and 11.06.2020 shall remain unchanged.

With regards,

Yours sincerely,

25/8/21

(Sanjay Lohiya)